

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक एफ.17 (ई)()ग्राविप/प्र.2/क.लि.नि./18/1941 जयपुर,दिनांक : 3.5.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1681 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री चेतन कुमार कोली पुत्र श्री मदन लाल कोली का कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवाक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त करते हुये 15 दिवस के अन्दर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री कोली द्वारा पारिवारिक कारणों से कार्यग्रहण करने में असमर्थता बतलाते हुये कार्यग्रहण अवधि को छ' माह बढ़ाने का निवेदन किया है।


श्री कोली की समयवधि बढ़ाया जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः विभागीय आदेश क्रमांक 1681 दिनांक 11.04.2018 के क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री चेतन कुमार कोली पुत्र श्री मदन लाल कोली के नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज मुख्यालय।
2. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्री चेतन कुमार कोली पुत्र श्री मदन लाल कोली 98, शंकर नगर विस्तार कागदिवाडा पुलिया के पास माउण्ट रोड जयपुर।
4. आदेश/निजी पत्रावली!


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)